non-VFC tobacco under the jurisdiction of Tobacco Board are:

(i) A Bill to amend the Tobacco Board Act to suitably empower the Tobacco Board is likely to be introduced in the Monsoon Session of the Parliament.

(ii) Test auctions for bidi tobacco were held in Nippani, Karnataka, in April, 1990.

(iii) Planning Commission has been moved for budget allocation to undertake work relating to non-Virginia tobacco.

(iv) A Working Group has been constituted to advise the Government on appropriate regulations for taking over non-VFC tobacco. Thi s Working Group held its last meeting in Anand, Gujarat with the bidi tobacco growers, traders and manufcturers on 3rd August, 1990.

(v) It is proposed to hold test auctions for bidi tobacco in Gujarat in 1991 season, provided Tobacco Board is legally empowered and funds are available.

Production of 'ODKA' by Markfed

422. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Punjab Markfed is authorised to produce "ODKA"; and

(b) if so, what are the details thereof and what is the target date of production and also the expected quantity to be produced?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): (a) No, sir:

(b) Does not arise in view of (a) above.

देश में रुग्ण वस्त्र उत्पादक इकाइयों की संख्या

423. **डा० रत्नाकर पाण्डेय:**
श्री बेकल उत्साही:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में रुग्ण वस्त्र उत्पादक इकाइयों की संख्या कितनी है और ये कहां अवस्थित हैं;

(ख) इन इकाइयों में कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है; और

(ग) उन्हें कार्यक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव): (क) एक विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिये**)

(ख) यह जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) सरकार ने रुग्ण/बन्द पड़ी वस्त्र मिलों की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से पैकेज बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए एक नौडीय अभिकरण की स्थापना की है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए निवारक सुधारात्मक तथा उपचारी उपाय निर्धारित तथा लागू करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्स्थापना बोर्ड की स्थापना भी की है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1988 के अन्त तक की स्थिति अनुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार 226 मिलों को रुग्ण मिलों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन रुग्ण मिलों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:—

राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	4